संख्या-71/2022/289ई/23-11-2022/737ई/18

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमतीनगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2022

विषय:-पुखरायां-घाटमपुर-बिन्दकी राज्य राजमार्ग संख्या-46 का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन हेतु वित्तीय प्रस्ताव/निविदा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या-646/प्रा0वि0/18(PGB Con. Sel. Vol-3)/2020-21/उपशा/लखनऊ, दिनांक 11.12.2021 एवं पत्र संख्या-965/प्रा0वि0/18(PGB Con. Sel. Vol-3)/2020-21/उपशा/लखनऊ, दिनांक 16.03.2022 के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुखरायां-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग राज्य राजमार्ग सं0-46 के 4-लेन चौड़ीकरण/उच्चीकरण हेतु सचिव समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निजी विकासकर्ता के रूप में Preferred Bidder M/s Prakash Asphaltings Toll Highways (India) Limited को उनके द्वारा दिये गये वित्तीय प्रस्ताव "Premium at the rate of 1% of the Total Realisable Fee commencing after expiry of a period of 3351 days from COD." पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त चयनित निजी विकासकर्ता के पक्ष में Letter of Award (LOA) निर्गत करने तथा कंसेशन अनुबंध किये जाने हेतु आपको अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदक्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- मुख्य अभियन्ता/सदस्य तकनीकी, उपशा, लखनऊ।

9- सदस्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक, उपशा, लखनऊ।

10- वित्त व्यय नियंत्रक अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।